भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 419*

दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन

***419. श्री गिरिधारी यादवः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि रोगियों द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अनावश्यक सेवन से एंटीबायोटिक प्रतिरोध पैदा होता है और ये दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं और परिणामस्वरूप ऐसे रोगियों को उच्च एंटीबायोटिक वाली दवाएं दी जाती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एंटीबायोटिक के उपयोग और निपटान के संबंध में सख्त नीति समय पर न बनाए जाने या ऐसा किए जाने में विलंब के कारण वर्ष 2050 से हर वर्ष एक करोड़ लोगों की मृत्यु होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का एंटीबायोटिक दवाओं के अनावश्यक नुस्खे लिखने और उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई नीति बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 28.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 419 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड सर्विलांस नेटवर्क पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की वार्षिक रिपोर्ट, 2023 में कहा गया है कि एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) के सबसे बड़े कारण हैं। एम्पिरिक एंटीबायोटिक थेरेपी को तैयार करने, रोगी के लिए बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने और प्रतिरोध के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एंटीमाइक्रोबियल संवेदनशीलता की निरंतर निगरानी महत्वपूर्ण है। प्रतिरोध पैटर्न के बदलते स्वरूप को वर्तमान एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावकारिता बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी और अनुकूल कार्यनीतियों की आवश्यकता होती है। इसलिए, नैदानिक सेटिंग्स में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के बढ़ते खतरे को दूर करने के लिए मजबूत एंटीमाइक्रोबियल प्रबंधन कार्यक्रम, नियमित संवेदनशीलता परीक्षण और नए उपचार विकसित करना आवश्यक है। आईसीएमआर की वार्षिक रिपोर्ट, 2023 को निम्न लिंक https://www.icmr.gov.in/icmrobject/uploads/Documents/1725536060_annual_report_2023.pdf पर देखा जा सकता है।

(ख) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लू) भारत में एएमआर द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से अवगत है और उसने एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग की जांच करने और एंटीबायोटिक नुस्खों, विशेष रूप से काउंटर पर बिक्री के लिए निगरानी/विनियमन के लिए विभिन्न नियामक उपाय किए हैं:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध पर रेड लाइन जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसमें लोगों से डॉक्टर के पर्चे के बिना एंटीबायोटिक्स सहित लाल ऊर्ध्वाधर रेखा से चिह्नित दवाओं का उपयोग न करने का आग्रह किया गया है।
- एंटीबायोटिक्स को औषधि नियम, 1945 की अनुसूची एच और एच1 में शामिल किया गया है। इन दवाओं के लिए विशिष्ट सावधानी लेबलिंग की आवश्यकता है और इन्हें केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे के तहत ही बेचा जाना चाहिए।
- सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय उपचार संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संक्रमणों की रोकथाम और नियंत्रण करना है ताकि स्वास्थ्य परिचर्या सेटिंग्स में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम किया जा सके। उपरोक्त जानकारी https://ncdc.mohfw.gov.in/antimicrobial-resistance-amr-containment/ लिंक पर देखी जा सकती है।
- भारत सरकार, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के माध्यम से ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके नियमों के प्रावधानों के तहत दवाओं की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता को नियंत्रित करती है।

*****